2/8/22 पत्रावली पेश। द.प्र. रिपोर्ट
प्राप्त। अप्रार्थी सं. 5 को
न्यायालय समय में तीन बार
आवाजें लगाई गई लेकिन
कोई उपस्थित नहीं।
अप्रार्थी सं. 5 विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जाती है। निर्णय बहस
एक पक्षीय सुनी गई। बहस
पर मनन किया। पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजात
का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया।
निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल मिसल किया गया।
निर्णय पालनार्थ तहसीलदार
को प्रेषित जावे।
पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

न्यायालय [illegible], [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः— 114/2021 धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगणः—

1. खीयाराम पुत्र श्री विरमराम
2. मेहनराम पुत्र श्री विरमराम
3. अर्जुनराम पुत्र श्री विरमराम
4. हवा पत्नी श्री विरमराम
   जातियान जाट निवासी रामनगर, चेराई
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. अमोलकराम पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट, निवासी रामनगर चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
2 प्रेमाराम पुत्र श्री लुणाराम
3 रामुराम पुत्र श्री लुणाराम

4 रूकमों पत्नी श्री लुणाराम

जातियान मेघवाल, निवासी रामनगर चैराई,

तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

5 श्रीमाल तहसीलदार तिंवरी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 2/8/22

प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नंबर 2709/6 रकबा 3.6422 हैक्टेयर मौजा ग्राम रामनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में आई हुई है। तथा प्रार्थी का मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थीगण के उक्त भूमि के दक्षिणी—पूर्वी दिशा में थोडी दूरी पर सडक चलती है प्रार्थीगण की भूमि व सडक के मध्य अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 2709/3 रकबा 3.6422 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की भूमि खसरी नंबर 2769 रकबा 1.4488 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। इन दो खसरो के बीच में अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई है। जिसमें सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से 18 फिट चौडे रास्ते बाबत भूमि का समर्पण कर रखा है। उक्त रास्ता वर्तमान में सडक पर स्थित भोमियाजी के थान से पीएचडी नलकूप तक चलता है। जो कि प्रार्थीगण के खेत से सबसे नजदीक निकटतम व लधुतम है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 2709/6 में आने—जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं चलता है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी—पूर्वी दिशा में आई हुई है। उक्त भूमि की दक्षिणी—पूर्वी सीमा पर सडक चलती है जो नजरिये नक्शे में ए से बी व सी से बी दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से उक्त रास्ते को बंद कर देते है जिससे प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पडता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। भू—अभिलेख निरीक्षण से रिपोर्ट तलब की गई। भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह उभरकर सामने आता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु दर्ज नहीं है। साथ ही मौके पर कृषि कार्य हेतु आवागमन वास्ते एक बारहमासी रास्ते का अभाव है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई जिसमें पूर्व में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा । प्रार्थी द्वारा पेश नजरिये नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाहा/दर्शाया गया रास्ता एक लंबा रास्ता है जिससे काफी संख्या में काश्तकारों को सुविधा होती है। मात्र खसरा नंबर 2709/3 एवं 2769 में रास्ता दर्ज ना होने से इन खसरों के खातेदारों द्वारा रास्ता बंद कर दिए जाने की संभावना बनी रहती है।

रास्ते की आवश्यकताः–

भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 2709/6 में आवागमन करना होता है। अतः नियमित रूप से आवागमन हेतु बेरोकटोक चलने वाले रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है एवं मात्र सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया। चाहे गए रास्ते की आवश्यकता ना केवल प्रार्थी को बल्कि अन्य काश्तकारों को भी है।

वैकल्पिक रास्ते का अभावः–

पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं। अप्रार्थीगण द्वारा भी वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। मुख्य सड़क एवं प्रार्थी के खसरे के मध्य के अधिकतर खसरों में रास्ता दर्ज है एवं रिपोर्ट के अनुसार चाहा गया रास्ता आवागमन हेतु इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

निकटतम/सुगमतम रास्ताः–

राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाहा गया रास्ता ही निकटतम है एवं इसमें किसी प्रकार की बाधा होने का उल्लेख भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट में नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर चाहे गए बिन्दुओं में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना

आदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरीये नक्शा में दर्शाये गये बिन्दू A से B के अनुसार ग्राम रामनगर, तहसील तिंवरी के खसरा नंबर 2769 में 5.48 मीटर व खसरा 2709/3 में बिन्दू x से y 5.48 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते की लम्बाई A से B तक (60.97 मीटर), x से y बिन्दू 121.95 मीटर रहेगी तदनुसार कुल प्रभावित रकबा 1002.40 वर्ग मीटर होगा। तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार डी.एल.सी. का तीन गुणा राशि की गणना कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाया जाकर उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड व लट्ठा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आदेश आज दिनांक 2/8/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां